राजधानी के गांधी भवन में शनिवार को नृत्य नाटिका अनंत ज्योति द्वारा बैले नाट्य समारोह में नृत्य की प्रस्तुति देते हुए कलाकार।

खुद फिट रहें और परिवार को भी करें प्रेरितः सारंग

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को टीटी नगर स्टेडियममें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भोपाल शाखा द्वारा आयोजित दो दिवसीय फिट इंडिया कार्निवाल का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर पारंपरिक खेल मलखंभ और सांस्कृतिक नृत्यों की भव्य प्रस्तुति भी दी गई। श्री सारंग ने कहा कि स्वस्थ शरीर और मन ही किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी हैं। जब नागरिक स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं, तब देश विकास और प्रगति के नए शिखरों को छूता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को पूरे देश में जन आंदोलन का रूप लेने वाला बताया। मंत्री ने कहा कि एक घंटा खेल के मैदान में, इस तरह के अभियानों के माध्यम से सभी आयु वर्ग के लोग फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं।

श्री सारंग ने बताया कि प्रदेश में खेल और फिटनेस संस्कृति को मजबूत करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसके तहत खेलो एमपी यूथ गेम्स, हर विधानसभा में खेल परिसर, पार्थ योजना, फिट इंडिया क्लब, युवा प्रेरक अभियान और युवा उत्सव जैसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि फिटनेस केवल व्यक्तिगत आदत न बनाकर पारिवारिक संस्कृति बनाएँ। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को नियमित व्यायाम, योग और खेल गतिविधियों में शामिल कर स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें।

स्वयंभू के बारे में नृत्य नाटिका अनंत ज्योति द्वारा बैले नाट्य समारोह

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी स्थित गांधी भवन में शनिवार को नृत्य नाटिका अनंत ज्योति द्वारा बैले नाट्य समारोह में नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी गईं। ये नृत्य नाटिका सृष्टि के मूल प्रश्न श्रेष्ठता बनाम साय पर आधारित एक कथा है। कथा आरंभ होती है जब सृष्टि के रचियता प्रमता और पालनकर्ता विष्णु के बीच यह विवाद उठता है कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। देवताओं की चिता बढ़ती है. क्योंकि उनका अहकारमहमांडीय संतुलन को डिमा सकता है।

इस बढ़ते हुये भेद को शांत करने के लिए संहार और संतुलन के देव शिव एक अनंत प्रकाश भज्योति के रूप में प्रकट होते हैं और चुनौती देते हैं कि जो इस ज्योति का आदि का अंत खोज लेगा वहीं श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु विनम्रता के साथ गहराइयों की ओर यात्रा करते हैं और अंततः यह साथ स्वीकार करते हैं कि यह ज्योति अनंत है। दूसरी ओर ब्रह्मा ऊंचाइयों की और जाते हुए असफल होने पर भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए केतकी पुष्ट को साक्षी बनाकर असत्य का सहारा लेते हैं। जब लौटते हैं तब शिव प्रकट होकर सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं। विष्णु की विनम्रता को महानता घोषित करते हैं और ब्रह्मा के अहंकार को दंड देते हैं। इसके बाद वहीं जगत ज्योति शात होकर शिवलिग के रूप में प्रकट होती है। इस पूरी प्रस्तुति में 10 कलाकारों की भागीदारी रही। भरत नाट्यम की दो प्रस्तुतियां एवं कथक की एक प्रस्तुति इन प्रस्तुतियों में प्रियंका शर्मा द्वारा मीरा पर केन्द्रीत कृष्ण के अन्नय भक्ति को दर्शाया गया है। दूसरी प्रस्तुति सुमन कोठारी ने भरत नाट्यम नृत्य को आधार बनाकर भोशंभू ।मनीषा हुरईया द्वारा खैरागढ़ कथक शैली में कृष्णायन की प्रस्तुती दी गई।

मप्र में एलपीजी संकट गहराया, होटल-रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर

सप्लाई बाधित होने से 50 हजार खानपान कारोबार प्रभावित, एजेंसियों पर लंबी कतारें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में रसोई गैस (एलपीजी) का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पिछले कई दिनों से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने के कारण प्रदेशभर के करीब 50 हजार होटल, रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और अन्य शहरों में गैस के लिए लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। कई स्थानों पर गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की भीड़ जमा हो रही है। भोपाल के टीटी नगर स्थित दशहरा मैदान गैस एजेंसी पर शनिवार सुबह छह बजे से ही उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े नजर आए। करीब 200 से अधिक लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे। दोपहर में सिलेंडर से भरा ट्रक पहुंचने के बाद वितरण शुरू हुआ, लेकिन कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ा।

गैस संकट का असर शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों पर भी दिखाई देने लगा है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में संचालित 16 हॉस्टल मेस, जेडीए कैंटीन और मरीजों के सेंट्रलाइज्ड किचन में गैस का स्टॉक केवल दो दिन का बचा है। कॉमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग पर लगभग 25 दिन की वेटिंग बताई जा रही है।

प्रदेश के कई जिलों में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। रायसेन में गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सागर रोड स्थित गैस एजेंसी के सामने चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलने पर एसडीएम मनीष शर्मा मौके पर पहुंचे और वितरण शुरू कराया। वहीं छिंदवाड़ा में विवाद की आशंका के चलते पुलिस की निगरानी में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं।

ग्वालियर में शादियों और आयोजनों में खाना डीजल भट्टियों और लकड़ी के चूल्हों पर बनाया जा रहा है, जबकि इंदौर के सराफा बाजार में कई दुकानदार इलेक्ट्रिक उपकरणों का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि प्रदेश में गैस का स्टॉक पर्याप्त है और आपूर्ति जल्द सामान्य कर दी जाएगी। हालांकि फिलहाल उपभोक्ताओं और कारोबारियों की परेशानी बनी हुई है।

घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेंः शमी

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने शनिवार को प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और ऑइल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती शमी ने निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी जिलों में एजेंसियों के माध्यम से वितरण प्रणाली को सुचारू बनाना आवश्यक है। गैस एजेंसियों के संचालन, सिलेंडर वितरण की समयबद्धता और उपभोक्ताओं की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही पूर्व में जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कहीं वितरण में अनियमितता या विलंब होता है, तो तत्काल कार्रवाई की जाए।

बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। 13 मार्च को प्रदेश के 11 स्थानों पर कार्यवाही कर 228 सिलेंडर जब्त किए गए और 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी और घरेलू एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो आपूर्ति पर निरंतर निगरानी रखेगी। ऑयल कंपनी के स्टेट नोडल अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 11 बाटलिंग प्लांट और वितरकों के गोदामों में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि अंतिम रिफिल के 25 दिन बाद ही पुनः बुकिंग करें। पश्चिम एशिया और अन्य स्त्रोतों से कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिससे घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति निरंतर जारी रहेगी।

खास-खबरें

मंत्री राजपूत करेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ

भोपालः खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत 15 मार्च, रविवार को सुबह 11 बजे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे ।साथ ही राज्य स्तरीय उपभोक्ता प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। आयोजन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

दादा गुरु ने किये भगवान महाकालेश्वर के दर्शन

भोपालः उज्जैन में शनिवार प्रातः संत दादा गुरु ने ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर की प्रातः कालीन दद्योदक आरती में दर्शन लाभ लिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उपस्थित थे। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उप प्रशासक एस एन सोनी ने दादा गुरुजी का स्वागत किया।

पूर्व विधायक यादवेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त

भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागौद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से स्व. यादवेंद्र सिंह की आत्मा की शांति और उनके शोकाकुल परिजन को यह दुःख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।

महिला पुलिस अधिकारियों की उपलब्धियों पर सेमिनार

नप्र, भोपाल : महिला सुरक्षा शाखा, पुलिस मुख्यालय द्वारा 13 मार्च को नवीन पुलिस मुख्यालय सभागार में 'महिला पुलिस अधिकारियों की उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण एवं सम्मान' विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के जिलों से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक स्तर तक कुल 95 महिला पुलिस अधिकारी प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुईं। महिला पुलिस अधिकारियों ने अपने द्वारा विवेचित महत्वपूर्ण प्रकरणों के अनुभव, चुनौतियां और उपलब्धियों, विवेचना, चुनौतियां, उनसे निपटने की प्रक्रिया और विधिक प्रक्रिया, न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विश्लेषण की जानकारी दी।

बीटेक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की

नप्र, भोपाल : अशोका गार्डन इलाके में रहने वाले बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना से पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल के जरिए लाइव सुसाइड दिखाया। शनिवार तड़के पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी में रखवा दिया। परिजनों के बिहार से आने के बाद रविवार को पीएम किया जाएगा। 21 वर्षीय मोहम्मद इफतिखार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और भोपाल के अशोका गार्डन स्थित बैंक कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहता था। वह भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहा था। मृतक का मोबाइल फोन दीवार पर चिपका हुआ मिला। वीडियो कॉल के दौरान उसने गर्लफ्रेंड को अपनी आत्महत्या की लाइव घटना दिखाई। अशोका गार्डन पुलिस ने बताया कि परिजनों और साथियों के बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मृतक का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। मोबाइल लॉक होने के कारण अभी उसका परीक्षण नहीं हो सका है।

नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार

नप्र, भोपाल : ट्रेनों में बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को बैतूल की जीआरपी आमला ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने केंद्रीय जेल भोपाल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर युवकों और युवतियों से पैसे वसूले। पुलिस ने उसे ट्रेन में घेराबंदी कर पकड़ लिया।

रेल पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देश पर ट्रेनों में हो रही धोखाधड़ी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जीआरपी ने तकनीकी जांच और लोकेशन के आधार पर 13 मार्च को ट्रेन नंबर 12722 दक्षिण एक्सप्रेस में हबीबगंज स्टेशन के पास आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम इन्द्रपाल (55) निवासी खंजनपुर, बैतूल बताया। वह भोपाल के भगवाना परिसर, बैरागढ़ रोड क्षेत्र में रह रहा था। आरोपी नकली दस्तावेज और विजिटिंग कार्ड दिखाकर खुद को जेल विभाग का अधिकारी बताता था और बेरोजगारों से 1050 रुपए फार्म भरने के लिए और 25,500 रुपए ट्रेनिंग के लिए वसूलता था।

तीन निजी बसें जलकर राख, दमकल ने पाया काबू

नप्र, भोपाल : इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र के तीन इमली इलाके में शनिवार रात एक बस पार्किंग में आग लग गई। आग की चपेट में पार्किंग में खड़ी तीन निजी बसें आ गईं। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं और इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही भंवरकुआं पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटा दिया। फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया।

ट्रैफिक पुलिस ने सीटी बजाकर ड्राइवरों को चेताया और पार्किंग में खड़ी पच्चीस से अधिक बसों को तुरंत हटवाया। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि आग की चपेट में आई बसें श्रीनाथ बस, निधि बस और देवा बस हैं। कोई जनहानि नहीं हुई। भंवरकुआं पुलिस ने आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है।

जाहिर सूचना

भूखण्ड कमांक-LIG 02 जिसका क्षेत्रफल 82.37 वर्गमीटर न्यू मित्र मंडल गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी, बागमुगालिया भोपाल के संबंध में

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री विपिन सक्सेना आत्मज श्री नरेन्द्र कुमार सक्सेना निवासी एच-14,, नन्द गांव बागमुगलिया भोपाल ने अपने स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य का भूखण्ड क्रमांक LIG 02 न्यू मित्रमण्डल गृह निमार्ण सहकारी सोसाइटी मर्यादित भोपाल की कालोनी न्यू फेंड्स कालोनी बगामुगालिया भोपाल जो भूमि खसरा कमांक 454/1 कुल रकबा 1.4480 हेक्ट. भूमि के अंश भाग पर निर्मित होकर ग्राम बागमुगालिया नगर निगम वार्ड 55 तहसील हुजूर जिला भोपाल जिसी चतुर्थ सीमायें दिशा पूर्व में भूखण्ड क्रमांक LIG 01 दिशा पश्चिम में कालोनी की बाउन्ड्री, दिशा उत्तर में कालोनी रोड, दिशा दक्षिण में कालोनी की बाउन्ड्री कुल क्षेत्रफल 886.6 वर्गफिट है। मेरी पक्षकार संस्था मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल शाखा टी.टी. नगर भोपाल में श्री विपिन सक्सेना आत्मज श्री नरेन्द्र सक्सेना ने उक्त भूखण्ड को बंधक रख कर ऋण प्राप्त करना चाहता है। यदि उपरोक्त भूखण्ड कमांक -LIG 02 के सम्पूर्ण या किसी भाग से किसी व्यक्ति संस्था बैंक, शासकीय, अशासकीय कार्यालय फर्म्स आदि को कोई आपत्ति हो अथवा उक्त भूखण्ड कही पर बंधक दान या गिरवी रखा हो या ऋणभार बकाया हो जमानत आदि में प्रयुक्त हो, हस्तांतरित या अंतरित हेतु कोई अनुबंध पत्र निष्पादित हो तो इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मय प्रमाण मूल दस्तावेजों सहित मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समयावधि पश्चात किसी भी पक्षकार का कोई दावा अपत्ति मेरी पक्षकार संस्था म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल शाखा टी.टी.नगर भोपाल द्वारा प्रबंधक पर बंधनकारी नही होगी और मेरी पक्षकार बैंक उक्त भूखण्ड को बंधकर रख कर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

शिविराम यादव, अधिवक्ता
एफ.एफ.04 सेन्ट्रल प्लाजा,
बाग सेवानिया कटाराहिल्स रोड भोपाल
मो. 94256-75076

3950

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय,तहसील गौहरगंज चिकलोदकलां वृत्त

प्रकरण क्रमांक 0022/अ-70/2025-26
श्रीमती क्षमा शर्मा.............**आवेदक**
विरूद्ध...
अंकित शर्मा.................**अनावेदक**

आवेदिका क्षमा शर्मा पत्नी हेमेन्त शर्मा निवासी चॉदलाखेडी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के द्वारा न्यायालय के समक्ष म.प्र.भू.राजस्व सहिता की धारा 250 का आवेदन इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि ग्राम चॉदलाखेडी तहसील गौहरगंज जिला रायसेयन की भूमि खसरा क्रमांक 10/1/2 रकबा 0.769 हैक्टेयर का सीमाकंन दिनांक 14.06.2025 को राजस्व निरीक्षक को चिकलोद कलॉ एंव हल्का पटवारी के द्वारा किया गया था सीमाकंन के दौरान उसकी खसरा क्रमांक 10/1/2 रकबा 0.769 हैक्टेयर के अंश भाग 0.439 हैक्टेयर पर अकिंत शर्मा पिता जगदीश शर्मा निवासी मकान नम्बर 121 ई.-5 अरेरा कालौनी जिला भोपाल का अबैध आधिपत्य पाया गया था। अनावेदक अकिंत शर्मा आ. जगदीश शर्मा निवासी ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल एंव उक्त प्रकरण से सम्बंधित अन्य व्यक्ति को आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपने कब्जे में रखे सम्पूर्ण दस्तावेज जो इस प्रकरण से सम्बंधित है तथा अपने अधिवक्ता सहित दिनांक 24.03.2026 को इस प्रकरण की कार्यवाही में उपस्थित होकर भाग लेवे अगर आपके द्वारा उक्त दिनॉक 24.03.2026 को इस प्रकरण में उपस्थित नही होते तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कि जावेगी। जिसके आप स्वंय जुम्मेदार होगी। आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर एंव सील मोहर के साथ उक्त विज्ञप्ति जारी कि गई ।

सुश्री रंजना चौहान
कार्यपालिका मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार वृत चिकलोद कलॉ तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

3951

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय,तहसील गौहरगंज चिकलोदकलां वृत्त

प्रकरण क्रमांक 0019/अ-70/2025-26
संजय कुमार शर्मा.............**आवेदक**
विरूद्ध...
सावित्री बाई.................**अनावेदक**

आवेदिक, संजय शर्मा आ. राधेश्याम निवासी चाँदलाखेडी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के द्वारा न्यायालय के समक्ष म.प्र. भू राजस्व सहिता की धारा 250 का आवेदन इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि ग्राम चाँदलाखेडी तहसील गौहरगंज जिला रायसेमन की भूमि खसरा क्रमांक 9/2 रकबा 1.214 हैक्टेयर का सीमाकंन दिनॉक 14.06.2025 को राजस्व निरीक्षक को चिकलोद कलॉ एंव हल्का पटवारी के द्वारा किया गया था सीमाकंन के दौरान उसकी खसरा क्रमांक 9/2 रकबा 1.214 हैक्टेयर के अंश भाग 0.376 हैक्टेयर पर सावित्री बाई शर्मा पत्नी बलराम शर्मा निवासी मकान नम्बर 121 ई. -5 अरेरा कालौनी जिला भोपाल का अबैध आधिपत्य पाया गया था। अनावेदक सावित्री शर्मा पत्नी बलराम शर्मा निवासी ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल एंव उक्त प्रकरण से सम्बंधित अन्य व्यक्ति को आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपने कब्जे में रखे सम्पूर्ण दस्तावेज जो इस प्रकरण से सम्बंधित है तथा अपने अधिवक्ता सहित दिनॉक 24.03.2026 को इस प्रकरण की कार्यवाही में उपस्थित होकर भाग लेवे अगर आपके द्वारा उक्त दिनांक 24.03.2026 को इस प्रकरण में उपस्थित नही होते तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कि जावेगी। जिसके आप स्वयं जुम्मेदार होगी । आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर एंव सील मोहर के साथ उक्त विज्ञप्ति जारी कि गई ।

सुश्री रंजना चौहान
कार्यपालिका मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार वृत चिकलोद कलॉ तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

3952

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय,तहसील गौहरगंज चिकलोदकलां वृत्त

प्रकरण क्रमांक 0020/अ-70/2025-26
हेमेन्त शर्मा............**आवेदक**
विरूद्ध...
अंकित शर्मा.................**अनावेदक**

आवेदिका हेमेन्त शर्मा आ. राधेश्याम निवासी चांदलाखेडी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के द्वारा न्यायालय के समक्ष म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 250 का आवेदन इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि ग्राम चांदलाखेडी तहसील गौहरगंज जिला रायसेयन की भूमि खसरा कमांक 5/1/3 रकबा 0,809 हैक्टेयर का सीमाकंन दिनांक 14.06.2025 को राजस्व निरीक्षक को चिकलोद कलां एंव हल्का पटवारी के द्वारा किया गया था सीमाकंन के दौरान उसकी खसरा क्रमांक 5/1/3 रकबा 0.809 हैक्टेयर के अंश भाग 0.274 हैक्टेयर पर अकिंत शर्मा पिता जगदीश शर्मा निवासी मकान नम्बर 121 ई. - 5 अरेरा कालौनी जिला भोपाल का अवैध आधिपत्य पाया गया था। अनावेदक अकिंत शर्मा आ. जगदीश शर्मा निवासी ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल एंव उक्त प्रकरण से सम्बंधित अन्य व्यक्ति को आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपने कब्जे में रखे सम्पूर्ण दस्तावेज जो इस प्रकरण से सम्बंधित है तथा अपने अधिवक्ता सहित दिनांक 24.03.2026 को इस प्रकरण की कार्यवाही में उपस्थित होकर भाग लेवे अगर आपके द्वारा उक्त दिनांक 24.03.2026 को इस प्रकरण में उपस्थित नही होते तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कि जावेगी। जिसके आप स्वंय जुम्मेदार होगी। आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर एंव सील मोहर के साथ उक्त विज्ञप्ति जारी कि गई ।

सुश्री रंजना चौहान
कार्यपालिका मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार वृत चिकलोद कलॉ तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

3953

न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय,तहसील गौहरगंज चिकलोदकलां वृत्त

प्रकरण क्रमांक 0021/अ-70/2025-26
श्रीमती रिंकी शर्मा.............**आवेदक**
विरूद्ध...
अंकित शर्मा.................**अनावेदक**

आवेदिका रिंकी शर्मा पत्नी सजय शर्मा निवासी चॉदलाखेडी तहसील गौहरगंज जिला रायसेन के द्वारा न्यायालय के समक्ष म.प्र.भू राजस्व संहिता की धारा 250 का आवेदन इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उसके स्वामित्व एंव आधिपत्य की भूमि ग्राम चॉदलाखेडी तहसील गौहरगंज जिला रायसेयन की भूमि खसरा क्रमांक 5/1/2 रकबा 1.457 हैक्टेयर का सीमाकंन दिनांक 14.06.2025 को राजस्व निरीक्षक को चिकलोद कलॉ एंव हल्का पटवारी के द्वारा किया गया था सीमाकंन के दौरान उसकी खसरा क्रमांक 5/1/2 रकबा 1.457 हैक्टेयर के अंश भाग 0.432 हैक्टेयर पर अकिंत शर्मा पिता जगदीश शर्मा निवासी मकान नम्बर 121 ई. - 5 अरेरा कालौनी जिला भोपाल का अवैध आधिपत्य पाया गया था। अनावेदक अकिंत शर्मा आ. जगदीश शर्मा निवासी ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल एंव उक्त प्रकरण से सम्बंधित अन्य व्यक्ति को आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अपने कब्जे में रखे सम्पूर्ण दस्तावेज जो इस प्रकरण से सम्बंधित है तथा अपने अधिवक्ता सहित दिनॉक 24.03.2026 को इस प्रकरण की कार्यवाही में उपस्थित होकर भाग लेवे अगर आपके द्वारा उक्त दिनॉक 24.03.2026 को इस प्रकरण में उपस्थित नहीं होते तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कि जावेगी। जिसके आप स्वंय जिम्मेदार होगी। आज दिनॉक 13.03.2026 को मेरे न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर एंव सील मोहर के साथ उक्त विज्ञप्ति जारी कि गई ।

सुश्री रंजना चौहान
कार्यपालिका मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार वृत चिकलोद कलॉ तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

3954

आम सूचना

M/S VIGILANT FORCE FACILITY MANAGEMENT AND SECURITY फर्म के भागीदार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाये भोपाल में पंजीयन क. 01/01/01/0364/22 दिनांक 05/12/ 2022 है जिसमें भागीदार क. 2 Ameya Bhagwan Deshpande को भागीदारगण के रुप में सम्मलित/शामिल हुये साथ ही भागीदार क्र. 3. Ravindra Jain का स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये उक्त निवृत्तमान भागीदारों का फर्म से किसी प्रकार का संबध नही हैं तथा फर्म के नाम मे परिवर्तन किया गया, फर्म का पूर्व नाम YUDIT SECURITY & MANPOWER SERVICES फर्म का संशोधित नाम M/S VIGILANT FORCE FACILITY MANAGEMENT AND SECURITY SERVICES हैं, दिनांक 04/7/2025 को भागीदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया भागीदारी संशोधन विलेखानुसार नये भागीदारों को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होगें। अतः सर्वसाधारण को सूचित हों।

PRATIKSHASINGH PARIHAR
PARTNER
Vigilant Force Facility
Management & Security services
FLAT NO DD-204, RAHUL NAGAR PART-1, NEAR RIVERA TOWNE MATA MANDIR BHOPAL

3955

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र.

क्रं./73/अपील/2526 भोपाल,दिनांक 11/03/2026

सूचना पत्र

प्रति,1 नितेश राजपूत पुत्र दयाल सिंह राजपूत निवासी- 68, शक्कर नगर पलासी न्यू जेल रोड करॉद भोपाल, 2.श्रीमती शमशुनिसा बेवा स्व. श्री आबिद हुसैन,3. श्री अखलाक हुसैन पुत्र स्व. श्री आबिद हुसैन, 4. श्रीमती अनीसा बी पुत्री स्व. श्री आबिद हुसैन, 5. श्रीमती नफीसा बी पुत्री स्व. श्री आबिद हुसैन, 6. श्रीमती रजिया बी पुत्री स्व. श्री आबिद हुसैन,7. श्रीमती संजीदा ची पुत्री स्व. श्री आबिद हुसैन, 8. श्रीमती कनौजा बी पुत्री स्व. श्री आबिद हुसैन, 9. श्रीमती नाजिया बी पुत्री स्व. श्री आबिद हुसैन निवासी 1 से 8 सभी निवासीगण फतेहगढ़, जिला भोपाल,10. श्रीमती नजमा हुसैन बेवा स्व. श्री अहमद हुसैन, अनमता अहमद पुत्री स्व. श्री अहमद रेहान, नाबा पुत्र स्व. श्री अहमद संरक्षक माता श्रीमती नजमा हुसैन सभी निवासीगण-34/53, वर्कशॉप रोड, फायरब्रिगेड, फतेहगढ़, जिला भोपाल एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री नरेश चन्द्र सोनी आ. स्व. श्री नन्नूलाल जोहरी निवासी मकान नंबर 04, गली नंबर 02, लखेरापुरा भोपाल जिला भोपाल म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 3640/अ-6/2025-26 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2025 से दुखी एवं व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के तहत अपील प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में आप हितबद्ध पक्षकार है। उक्त में यदि आपको या किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 30.03.2026 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष समर्थन/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है उपस्थित न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

3956

जाहिर सूचना

भूखण्ड कमांक-LIG 01 जिसका क्षेत्रफल 83.72 वर्गमीटर न्यू मित्र मंडल गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी, बागमुगालिया भोपाल के संबंध में

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री प्रवीण सक्सेना आत्मज श्री नरेन्द्र कुमार सक्सेना निवासी ईडनगार्डन, अवधपुरी भोपाल ने अपने स्वत्व स्वामित्व एंव अधिपत्य का भूखण्ड क्रमांक LIG 01 न्यू मित्रमण्डल गृह निमार्ण सहकारी सोसाइटी मर्यादित भोपाल की कालोनी न्यू फेंड्स कालोनी बगामुगालिया भोपाल जो भूमि खसरा कमांक 454/1 कुल रकबा 1.4480 हेक्ट. भूमि के अंश भाग पर निर्मित होकर ग्राम बागमुगालिया नगर निगम वार्ड 55 तहसील हुजूर जिला भोपाल जिसी चतुर्थ सीमायें दिशा पूर्व में भूखण्ड क्रमांक 33 दिशा पश्चिम में भुखण्ड क्रमांक LIG 02 दिशा उत्तर में कालोनी रोड, दिशा दक्षिण में कालोनी की बाउन्ड्री कुल क्षेत्रफल 901 वर्गफिट है। मेरी पक्षकार संस्था मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल शाखा टी.टी. नगर भोपाल में श्री प्रवीण सक्सेना आत्मज श्री नरेन्द्र सक्सेना ने उक्त भूखण्ड को बंधक रख कर ऋण प्राप्त करना चाहता है। यदि उपरोक्त भूखण्ड कमांक -LIG 01 के सम्पूर्ण या किसी भाग से किसी व्यक्ति संस्था बैंक, शासकीय, अशासकीय कार्यालय फर्म्स आदि को कोई आपत्ति हो अथवा उक्त भूखण्ड कही पर बंधक दान या गिरवी रखा हो या ऋणभार बकाया हो जमानत आदि में प्रयुक्त हो, हस्तांतरित या अंतरित हेतु कोई अनुबंध पत्र निष्पादित हो तो इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के अन्दर मय प्रमाण मूल दस्तावेजों सहित मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समयावधि पश्चात किसी भी पक्षकार का कोई दावा अपत्ति मेरी पक्षकार संस्था म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल शाखा टी.टी.नगर भोपाल द्वारा प्रबंधक पर बंधनकारी नही होगी और मेरी पक्षकार बैंक उक्त भूखण्ड को बंधकर रख कर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

शिविराम यादव, अधिवक्ता
एफ.एफ.04 सेन्ट्रल प्लाजा,
बाग सेवानिया कटाराहिल्स रोड भोपाल
मो. 94256-75076

3957